R 769
23/07/2026

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 4481 /छा/आउशि/2026 दिनांक 23/07/2026

PR SC/ST cell
23/7/26

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

2. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

3. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय:- सत्र **2026-27** में एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति एवं निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना के आवेदन के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र **2026-27** में एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति एवं सभी वर्गों के निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अवधि **01.08.2026** से **31.08.2026** तक निर्धारित की जाती है।

एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति के नवीन आवेदन कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, केन्द्रीय आवक शाखा तृतीय तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल में कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकते है एवं नवीनीकरण आवेदन संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय में जमा किए जा सकते है।

सभी वर्गों के निःशक्तजन विद्यार्थियों के कम्प्यूटर एवं प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना छात्रवृत्ति हेतु नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय में जमा किए जा सकते है।

अतः आवेदन निश्चित तिथि के पूर्व भेजना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

योजना की विस्तृत जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाईट **www.highereducation.mp.gov.in** पर नवीन निर्देश अंतर्गत उपलब्ध है।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, भोपाल (म.प्र)

क्रमांक 449 /छा/आउशि/2026 दिनांक 23/07/2026

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. मीडिया सेल, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रचार प्रसार हेतु अग्रेषित।

23/07/26

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, भोपाल